बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक –07-8-2026

सं०सं०–16/एम.1–103/2025– 1237–(आ०चि०)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2010 (समय–समय यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (1) यह नियमावली "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2010 के नियम–4 का संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

4. (क) स्वास्थ्य संस्थानों/केन्द्रों में आयुष चिकित्सक के सृजित सभी पद एवं आयुष संस्थानों में आयुष चिकित्सक के सृजित पद राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के पद माने जायेंगे।

(ख) प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सकों का चयन विज्ञापन के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए मार्गदर्शन विभाग द्वारा समय–समय पर, अलग से निर्गत किया जायेगा।

(ग) **आयु सीमा।–** राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर नियुक्ति हेतु यथा विहित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा लागू होगी;

परन्तु, स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। यह छूट सक्षम प्राधिकार द्वारा, स्वीकृत पद के विरूद्ध विहित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एवं नियोजित संविदा कर्मियों के मामलों के लिए ही मान्य होगा।

(घ) **आरक्षण।–** राज्य सरकार द्वारा विहित आरक्षण नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ङ) **(1) भर्ती।–** इस सेवा के मूल कोटि के पद आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर, नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती से, आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

(2) **अर्हताएँ।–** (i) इस सेवा में नियुक्ति के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति क्रमशः बी०ए०एम०एस०/ बी०यू०एम०एस०/ बी०एच०एम०एस० की डिग्री होगी, जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से निर्गत एवं

Scanned with CamScanner

सी०सी०आई०एम० / एन०सी०आई० एस०एम० / सी०सी०एच० / एन०सी०एच० के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। वर्ष 2003 तक के सभी वैध जी०ए०एम०एस० (ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसीन एंड सर्जरी) में उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री भी मान्य होगी।

आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर उपाधि धारकों एवं बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जा सकेगी।

(ii) अभ्यर्थी को राज्य सरकार के विधि द्वारा स्थापित संबंधित विधा के बोर्ड / परिषद से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक होगा।

(3) **भर्ती की प्रक्रिया।–** (i) विभाग, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(ii) आयोग, विभाग से सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की सूचना एवं भर्ती की अधियाचना प्राप्त होने पर, सीधी भर्ती से भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या ऐसी रीति से विज्ञापित करेगा जैसा वह उचित समझे और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा तथा मेधासूची निम्नलिखित आधार पर तैयार करेगा:–

बिहार आयुष चिकित्सा सेवा के सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा उप संवर्ग/आयुष फिजिशियन उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु चिकित्सकों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो समय–समय पर विभाग द्वारा तय किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:–

क.	प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	75 अंक
ख.	बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर निजी अस्पतालों (यथा बिहार सरकार, केन्द्र सरकार, निकाय, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पताल सहित) में संविदा के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध विहित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एवं नियोजित संविदा कर्मियों के मामलों में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) दी जाएगी।	25 अंक
	कुल	**100 अंक**

Scanned with CamScanner

स्पष्टीकरण–

- प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा–यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 60x0.75–45 अंक दिये जायेंगे।
- प्रतियोगिता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा।
- उपर्युक्त वर्णित अंकों की अधिमानता उन्हीं संविदा कर्मियों को दिया जाएगा जिनका संविदागत नियोजन सक्षम प्राधिकार के द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध किया गया हो।

(iii) आयोग, मेघासूची तैयार करने के पश्चात, अंतिम अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग के स्तर पर भी प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य की जाँच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(iv) आयोग आरक्षण कोटिवार मेघासूची तैयार कर याचित अधियाचना के विरूद्ध अपनी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–16/एम.1–103/2025–1237(आ.चि.) पटना, दिनांक –07.8.2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–16/एम.1–103/2025–1237(आ.चि.) पटना, दिनांक –07.8.2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार/महानिदेशक, आयुष/स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, अधीक्षक, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दिनांक 05.08.2026 की बैठक में मद संख्या 12 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखें जाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अपर सचिव

Scanned with CamScanner